

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- 79/अ-59/2017-18/ 5982

बैतूल दिनांक 14/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 21 रा. नि. मण्डल खेडीसाँवलीगढ तहसील बैतूल द्वारा नायब तहसीलदार बैतूल (खेडीसाँवलीगढ वृत्त) के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम सभा बोदीजूनावानी द्वारा मौजा गोनीघाट तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 129/1 रकबा 2.697 हेक्टेयर मे से 0.405 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 138 रकबा 0.490 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार उक्त भूमि का मद परवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेडीसाँवलीगढ वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा गोनीघाट तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 129/1 रकबा 2.697 हेक्टेयर मे से 0.405 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 138 रकबा 0.490 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 07-5-2018 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्व सम्मति से प्रस्ताव क्रमांक:- 4 पारित किया जाकर, मौजा गोनीघाट तहसील बैतूल स्थित खसरा 129/1 रकबा 2.697 हेक्टेयर मे से 0.405 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 138 रकबा 0.490 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन करके आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा गोनीघाट तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 129/1 रकबा 2.697 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 138 रकबा 0.490 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार मौजा गोनीघाट स्थित खसरा नंबर 129 रकबा 2.987 हेक्टेयर घाँस का. का. मद में एवं खसरा नंबर 138 रकबा 0.490 घाँस मद में दर्ज है।

(4)- ग्राम गोनीघाट का मकबूजा रकबा 391.925 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 41.100 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 7.838 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबा से अधिक है। चरनोई के उपलब्ध रकबा में से 0.895 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने के उपरांत भी चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेडीसाँवलीगढ वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा गोनीघाट तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर नंबर 129/1



(Handwritten signature)

रकबा 2.697 हेक्टेयर मे से 0.405 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 138 रकबा 0.490 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं पृथक रख सकता है तथा उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवर्तित किया जा सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (खेडीसाँवलीगढ वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा गोनीघाट तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर नंबर 129/1 रकबा 2.697 हेक्टेयर मे से 0.405 हेक्टेयर (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) एवं खसरा नंबर 138 रकबा 0.490 हेक्टेयर भूमि (कुल 0.895 हेक्टेयर) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



पृ0क्र0:- 29 /अ-59/2017-18/ 5982
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
- 2- नायब तहसीलदार बैतूल (खेडीसाँवलीगढ वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत बोदीजूनावानी जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

बैतूल दिनांक 14/5/2018

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.